

प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय डॉ गौतम चौधरी भाजयुमो ने फूंका सपा अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया उद्घाटन। अखिलेश यादव का पुतला

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा-निर्देशन में जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का

योगदान होगा। आज हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति द्वारा सभी को शुभकामनायें और यह संदेश दिया गया कि सभी भाषायें मौसी हैं और हिन्दी माता है। मौसियों

यी॒ष॒ष्टि॑ सिद्धार्थ ने अवगत कराया कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में 21 हजार से भी ज्यादा मुकदमों का निस्तारण हिन्दी भाषा में

धनराशि का सैटलमेंट किया गया। अन्य विभागों द्वारा 64438 वाद निस्तारित किये गये।

जनपद

न्यायालय फिरोजाबाद न्यायिक सं॒ठि॑ंड॑ कोर्ट नं॒० १ अधिकारिगण में श्री हरवीर सिंह

अपन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

शिकोहाबाद श्री विनीत कुमार यादव द्वारा 1751 वादों का निस्तारण, अपर सिविल जज

सं॒ठि॑ंड॑ कोर्ट नं॒० १ फिरोजाबाद सुशी नगमा खान

मठाधीशों को माफिया से तुलना करके सभी हिन्दू समाज को गाली देने का प्रयास किया है। यह पहली बार नहीं है। बल्कि अखिलेश यादव बार-बार समय समय पर हिन्दुओं के

कोई हक नहीं है जो देश के करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्हें हर बार भला बुरा कह के हिन्दू समाज को गाली देने का प्रयास करते हैं। इसी को लेकर भारतीय



उद्घाटन प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय डॉ गौतम चौधरी, जज, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ञालित करते हुए किया गया। कार्यक्रम में श्री हरवीर सिंह, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद, पीठासीन अधिकारी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री अरविन्द कुमार सिंह-11, जिलाधिकारी श्री रमेश रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ दीक्षित, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री राम बदन राम, जेल अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह एवं शुभेंदु शर्मा दीक्षित किया गया। 15 दम्पत्तियों ने अपासी मतभेदों को समाप्त कर एक दूसरे को फूलों की माला पहना कर नई शुभाात करने का विराज लिया। माननीय न्यायमूर्ति ने इन दम्पत्तियों को अशीर्वाद दिया। सभी जोड़े आशीर्वाद प्राप्त कर हसते सुकाराते हुए न्यायालय से वापस अपने घर गये। जनपद न्यायाधीश श्री हरवीर सिंह ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय डॉ गौतम चौधरी के आगमन पर न्यायिक परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। जनपद न्यायाधीश द्वारा 13 वादों का निस्तारण किया जिसमें अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। लोक अदालतों में मीडिया कर्मियों की विशेष भूमिका होती है वे भी प्रचार-प्रसार में अपेक्षित सहयोग देते हैं जिसके लिए मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया। लोक अदालतों में सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं॒९ फिरोजाबाद द्वारा 02 वाद, श्री अवधेश कुमार सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं॒० 7 फिरोजाबाद द्वारा 03 वाद, श्री अर्जुन गुप्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं॒१ फिरोजाबाद द्वारा 04 वाद, श्री इफराक अहमद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं॒० 3 फिरोजाबाद द्वारा 295 वाद, श्री अर्जुन गुप्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं॒२ फिरोजाबाद द्वारा 05 वाद, श्री अवधेश कुमार सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं॒३ फिरोजाबाद द्वारा 06 वाद, श्री अर्जुन गुप्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं॒४ फिरोजाबाद द्वारा 07 वाद, श्री अवधेश कुमार सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं॒५ फिरोजाबाद द्वारा 08 वाद, श्री अर्जुन गुप्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नं॒६ फिरोजाबाद द्वारा 09 वाद निस्तारण किये गये।

मजिस्ट्रेट न्युनियन द्वारा 10 वादों में मुख्यतः जनपद न्यायालय द्वारा 31087 वाद, परिवार न्यायालयों द्वारा 114 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार व समझौता राशि कुल मु 249543672/- रु० है। इनमें से मुख्यतः जनपद न्यायालय द्वारा 31087 वाद, परिवार न्यायालयों द्वारा 114 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार व समझौता राशि कुल मु 8329000/- रु० है। राजस्व न्यायालय द्वारा 38221 वाद, बैंक द्वारा वसूली योग्य 1449 वादों में न्यायाधीश फिरोजाबाद श्री 209011000/- रु० की

किया है जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि व रिकार्ड है। सचिव द्वारा प्राधिकरण की उपलब्धियों के विषय में जनकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद गरीब, असहाय, वंचित वर्ग के लोगों को निश्चल कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, तहसील एवं ब्लॉक सर पर अधिकारियों का अपेक्षित सहयोग दिया जाने के लिए एक विवाद चल रहा है। यहले पंचायतों की परम्परा थी और घर के विवाद घर के बड़े बुरुर्ग अपनी समझौता कराकर समाप्त करा देते थे। वही परम्परा आज लोक अदालत के पर्व के रूप में मनायी जाती है। छोटे-छोटे विवादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से होने से बड़े विवादों और जनन्य अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों का निस्तारण करने में न्यायालय के समय का सुधूपयोग होगा। अगर देश को समृद्ध बनाना है तो पंचायती व्यवस्था का महत्वपूर्ण

कार्यक्रम के अवसर पर

प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय

डॉ गौतम चौधरी जी ने राष्ट्रीय

संस्कृत की अधिकारी श्री

संस्कृत की अधिकारी श्री